पत्रांकः—वन भूमि—134 / 2021................... / प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
वन संरक्षक—सह—अपर सचिव।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची—834002

पटना—15, दिनांक.......................

विषय :— समस्तीपुर जिलान्तर्गत SH-50, दरभंगा—समस्तीपुर पथ के कि0मी0 43वें अंश से 47वें अंश तक पथ का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2.838 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत SH-50, दरभंगा—समस्तीपुर पथ के कि0मी0 43वें अंश से 47वें अंश तक पथ का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2.838 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव, ''कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, समस्तीपुर'' द्वारा समर्पित किया गया है, जिसे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोंपरांत नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण) द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

विषयांकित पथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अधिसूचना संख्या—189(E)/190(E) दिनांक—16.02.1994 द्वारा सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित है परन्तु भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित परियोजना में 2.838 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्तावित है। परियोजना निर्माण के क्रम में प्रभावित होने वाले 372 वृक्षों में से 129 वृक्षों का पातन, 122 वृक्षों का पुनर्स्थापन तथा 121 वृक्षों को परियोजना निर्माण स्थल पर यथावत् सुरक्षित बचाया जाना प्रस्तावित है। उन्हीं वृक्षों का पातन प्रस्तावित है, जिनका पुनर्स्थापन विभिन्न कारणों से सम्भव नहीं है। विषयांकित अपयोजन प्रस्ताव हेतु वानस्पतिक घनत्व 0.3 अंकित किया गया है।

अपयोजित होने वाली वनभूमि के लिए जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा FRA, 2006 प्रमाण—पत्र निर्गत नहीं किया गया है परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक—11—43 / 2013—FC दिनांक—26.02.2019 के आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण—पत्र के ही प्रस्ताव पर स्टेज—1 की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव को अग्रसारित किया जा रहा है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 2.838 हे0 अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 5.676 हे0 अर्थात—06 हे० अवकृष्ट वन भूमि को वन प्रमंडल बांका के बांका वन प्रक्षेत्र के माताथान फुल्लीडुमर टोला धावावरण, सुरक्षित वन को चिन्हित करते हुए वृक्षारोपन का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, बांका से प्राप्त की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिए चिन्हित वन भूमि का Geo-

referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिए उपर्युक्त है का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

विषयांकित प्रस्ताव में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का अनुशंसा प्रपत्र–II के रूप में एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव की अनुशंसा की गयी है, जिसका अनुमोदन प्रपत्र–III के रूप में एवं नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा की गयी अनुशंसा प्रपत्र IV के रूप में संलग्न है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 2.838 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 17,76,588/–(सत्रह लाख छियत्तहर हजार पाँच सौ अठासी रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 2.838 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये बांका वन प्रमंडलान्तर्गत 6.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रू० 28,06,593/–(अठाईस लाख छः हजार पाँच सौ तेरानवे रूपये) मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है, के आलोक में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अद्यतन मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1224/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह०/–
(सुधीर कुमार)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–134/2021...................../प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक....................................

प्रतिलिपि :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रव ाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(सुधीर कुमार)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–134/2021 3196 /प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक 26/04/2022

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट–2 उपलब्ध कराया जाय।

26/4/2022
(सुधीर कुमार)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

VR S One-230

Van Bhumi:- 134/2021

PART-V

(To be filled in by the Secretary Charge of forest Department or by any other authorizes officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon.	The proposed diversion of 2.838 ha. forest land for construction of Rehabilitation and upgrading to Darbhanga-Samastipur Road under Samastipur District may be sanctioned subject to the condition/stipulation mentioned in the forwarding letter.

Date:- 26/4/2022

Place:- PATNA

Signature:- Sudhir Kumar

Name of Designation:-

अपर सचिव

Official Seal:- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
बिहार, पटना